



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 21.07.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा विपक्षी को फंसाने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचकर वादी ने कराई फायरिंग की घटना का अनावरण, घटना में शामिल वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना लोनी पर दिनांक 20.05.2024 को वादी राहुल पंवार द्वारा अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा वादी के घर पर फायरिंग करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध तहरीर दी गयी। जिसमें थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा शीघ्र अनावरण हेतु टीम लगाई गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.07.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त पंकज मावी उर्फ पंखा पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र बंथला से गिरफ्तार किया गया। वादी द्वारा ही विपक्षी को फंसाने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचकर अपने घर पर फायरिंग की घटना कारित करायी गयी थी। जिसमें धारा 307 भादवि का लोप कर धारा 195/211/120बी/34 भादवि की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्त वादी मुकदमा राहुल पंवार पुत्र स्व0 राजकुमार पंवार निवासी -माण्डला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व अन्य साथी नाम पता अज्ञात प्रकाश में आये हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरे पिता फूल सिंह भगतई का काम करते हैं जो मुकदमा वादी राहुल पंवार को अपना गुरु मानते हैं मेरे पिता फूल सिंह की राहुल पंवार से दोस्ती है और हमारा राहुल पंवार के घर आना जाना है तथा राहुल पंवार ने मुझे बताया था कि मेरा मेरे ताऊ त्रिभुवन सिंह पुत्र स्व0 यतीन्द्र कुमार वर्मा के साथ पुराना जमीनी विवाद व मुकदमे बाजी चल रहा है उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपने ताऊ को सबक सिखाना चाहता हूँ जिस पर मैं तैयार हो गया। फिर दिनांक 19.05.2024 को राहुल पंवार व राहुल का एक साथी जिसे मैं नहीं जानता पर सामने आने पर पहचान लूंगा के साथ मिलकर राहुल पंवार के खेत पर सारी घटना की साजिश रची। फिर हमने साजिश के तहत राहुल पंवार के घर के दरवाजे पर गाली गलौच व धमकी देते हुए हवाई फायरिंग कर मौके से भाग गये। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व तमंचा कारतूस भी राहुल ने ही उपलब्ध कराये गये थे।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. पंकज मावी उर्फ पंखा पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

नाम पता प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त

1. राहुल पंवार पुत्र स्व0 राजकुमार पंवार निवासी माण्डला थाना लोनी गाजियाबाद

2. एक साथी अज्ञात

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थाना लोनी पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा संदिग्ध चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 21.07.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गढी कटैया कट से दिल्ली की तरफ कासिम विहार कट से संदिग्ध चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध चाकू के साथ 02 अभियुक्तों 1. मोहित उर्फ साधु पुत्र मुद्रिका सिंह निवासी राज विहार शिव मंदिर के पास डायमंड चौक रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

2.आबिद पुत्र आशक अली निवासी मौहम्दी मस्जिद के पास सुधीर एन्कलेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनों ने मिलकर करीब दो महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी। हम दोनों लोग मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी कर आसपास के क्षेत्रों में बेच देते हैं। अभियुक्त आबिद ने बताया कि यह चाकू मैं अपने पास मौका पड़ने पर लोगों को डराने धमकाने के लिये रखता हूँ। आज हम इस चोरी की गई मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकले थे कि चेकिंग मैं आपने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

1.आबिद पुत्र आशक अली निवासी मौहम्दी मस्जिद के पास सुधीर एन्कलेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद , उम्र करीब 20 वर्ष

2.मोहित उर्फ साधु पुत्र मुद्रिका सिंह निवासी राज विहार शिव मंदिर के पास डायमंड चौक रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण

संदिग्ध चोरी की एक मोटरसाइकिल न0 DL 5 SBF7993 व अवैध एक चाकू बरामद।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

संदिग्ध चोरी का वाहन व अवैध चाकू बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त मोहित के विरुद्ध पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग डकैती की घटना के संबंध में पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम